बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
—:: आदेश ::—

सं० सं०—17/विविध— 01—210/2025 **पटना, दिनांक :— / / 2026**

डॉ० प्रिया, ट्यूटर (टेन्योर—BHS), पैथोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को वित्त विभागीय परिपत्र संख्या—9889, दिनांक—01.12.2015 के आलोक में दिनांक—10.10.2025 से 19.02.2026 तक कुल—133 (एक सौ तैंतीस) दिनों का प्रथम संतान हेतु उपभोगित मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/—
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी
—सह—संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :—17/विविध— 01—210/2025 - 1400(17) **पटना, दिनांक :—** 21/10/2026

प्रतिलिपिः— महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— डॉ० प्रिया, ट्यूटर (टेन्योर—BHS), पैथोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आई०टी०मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी
—सह—संयुक्त सचिव।